प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **29-03-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-थाना सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत स्थित रेलवे हरथला कॉलोनी में डबल मर्डर की सनसनीखेज घटना को अन्जाम देकर थाने पहुँचे युवक को थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा किया गिरफ्तार,आलाकत्ल हथोडी बरामद।

अवगत कराना है कि साहिल शर्मा पिता स्व. श्री नरेश कुमार शर्मा निवासी 35 आजाद नगर रेलवे हरथला कलोनी थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद,जोकि अपनी दादी श्रीमती सरोज शर्मा तथा बुआ वंदना शर्मा के साथ रहता था, ने सम्पत्ति बंटवारे के चलते दिनांक 28.03.2025 को अपनी दादी सरोज शर्मा व बुआ वंदना शर्मा दोनो के सिर मे हथौडी से वार कर दोनो की हत्या कर दी तथा घटना के बारे मे अपने रिश्तेदार विशाल राव निवासी गाजियाबाद को बताया तो विशाल उपरोक्त अभियुक्त साहिल शर्मा को लेकर थाना पहुँच गया। थाना पर अभियुक्त साहिल शर्मा उपरोक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा घटना के सम्बन्ध मे वादी मुकदमा श्री विशाल राव की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-212/2025 धारा 103(1) बीएनएस का पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

साहिल शर्मा पिता स्व0 श्री नरेश कुमार शर्मा निवासी आजाद नगर रेलवे हरथला कलोनी थाना सिविल लाईन जिला मुरादाबाद

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त साहिल उपरोक्त से पूछताछ करने पर साहिल ने बताया कि मेरे माता-पिता की मृत्यु करीब 05 वर्ष पूर्व हो गयी थी तब से घर मे मै, मेरी दादी श्रीमती सरोज शर्मा व मेरी बुआ वंदना शर्मा,जो अविवाहित थी, के साथ रहता था। मै कक्षा आठ तक पढा हूँ, कम पढा लिखा होने के कारण मुझे कोई नौकरी नही मिल पा रही थी तो मैने अपनी दादी व बुआ से मुझे ऑटो खरीदवाने के लिए कहा था परन्तु मेरी दादी व बुआ ने ऑटो दिलवाने से साफ मना कर दिया चूंकि मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी सारी सम्पत्ति का मै ही वारिश हूं फिर भी मेरी दादी व बुआ मेरे खर्चे के लिए मुझे पैसे नही दे रहे थे । जब

मेरी बुआ और दादी ने मुझे ऑटो दिलवाने से मना कर दिया तो इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैने गुस्से मे घर मे रखी हथौडी से अपनी दादी व बुआ के सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी और घटना मे प्रयुक्त किये गये लोहे के हथौडी को मौके पर ही छोड दिया था और घर का ताला लगाकर घर से चला गया था । इस घटना के बारे मे मैने अपने फुफेरे भाई विशाल को बताया तो विशाल मेरे पास मुरादाबाद आ गये थे । मैने ऑटो न दिलवाने की बात को लेकर गुस्से मे अपनी दादी व बुआ की हत्या कर दी ।

बरामदगी का विवरणः-

आला कत्ल एक हथौडी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0- 212/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद

नोटः- अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष सक्सैना थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
2. निरीक्षक श्री राजेश यादव थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
3. उ0नि0 श्री जुगेन्द्र कुमार सिंह थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
4. हे0का0 प्रमोद कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
5. का0 पंकज कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

2-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार,थाना भगतपुरः-

अवगत कराना है दिनांक 29.03.2025 को उ0नि0 श्री दयाचंद थाना भगतपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी सरफराज पुत्र नसरत खां नि0 ग्राम मल्हुपुरा थाना भगतपुर,मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0-63/2025 धारा - 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः-

सरफराज पुत्र नसरत खां नि0 ग्राम मल्हुपुरा थाना भगतपुर,मुरादाबाद

बरामदगीः-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री दयाचंद थाना भगतपुर,मुरादाबाद।

उ0नि0 श्री शिवांग थाना भगतपुर,मुरादाबाद।

हे0का0 राकेश थाना भगतपुर,मुरादाबाद।

हे0कां0 पिंकू थाना भगतपुर,मुरादाबाद।

3-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने वाले 18 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29-03-2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 18 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग मे गिरफ्तारी विवरणः-

थाना मूंढापाण्डे-

1.सलमान पुत्र सलीम

2. फैजान पुत्र सलीम निवासीगण ग्राम चमरौआ थाना मूढापाण्डे,मुरादाबाद।

थाना भगतपुरः-

1.अरमान पुत्र शहीद नि0 ग्राम सीतापुर बहेडी थाना भगतपुर,मुरादाबाद।

2.कारिम पुत्र अब्दुल वारी नि0 ग्राम सीतापुर बहेडी थाना भगतपुर,मुरादाबाद।

3.प्रेमपाल पुत्र जयसिंह नि0 ग्राम महेशपुर खेम थाना भगतपुर,मुरादाबाद।

4.ऋषिपाल पुत्र जयसिंह नि0 ग्राम महेशपुर खेम थाना भगतपुर,मुरादाबाद।

5.दीपक पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम महेशपुर खेम थाना भगतपुर,मुरादाबाद।

थाना सोनकपुरः-

1.नितिन पुत्र राकेश ग्राम अभनपुर नरौली थाना सोनकपुर,मुरादाबाद।

2. जितेंद्र उर्फ छोटू पुत्र योगेंद्र सिंह ग्राम नगलिया शाहपुर थाना सोनकपुर,मुरादाबाद।

थाना छजलैटः-

1. सुबाबुल पुत्र शफीक

2.रिहान पुत्र कलुआ निवासी ग्राम चोहरा रसुलपुर थाना छजलैट,मुरादाबाद।

3. रजा हुसैन ऊर्फ राजा पुत्र इलियास निवासी ग्राम जमालपुर मुंडा नगला छजलैट,मुरादाबाद।

थाना बिलारीः-

1. अनीस पुत्र शहाबुद्दीन,

2.डाल चन्द पुत्र शिवचरन सिह

3.विकास पुत्र वीरपाल सिह निवासी गण ग्राम पालनपुर थाना बिलारी,मुरादाबाद।

4.अरविन्द पुत्र रामकुंवर निवासी ग्राम मिट्ठनपुर नगला थाना बिलारी,मुरादाबाद।

थाना कांठः-

1.रियासत हुसैन

2. महबूब हुसैन पुत्रगण अशफाक हुसैन निवासीगण ग्राम अकबरपुर थाना कांठ,मुरादाबाद।